अंक 32 । संख्या 10 । अक्टूबर 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

# मानव अधिकार

## न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

**रिपोर्ट**
मानव अधिकारों पर चौथा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

**परामर्श**
'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

# मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

अंक 32 । संख्या 10 । अक्टूबर 2025

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**

**अध्यक्ष**
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

**सदस्य**
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

**महासचिव**
श्री भरत लाल

**संपादक**
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन औपचारिक दीप प्रज्वलित करते हुए

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने से पहले औपचारिक दीप प्रज्वलित किया

# विषय-वस्तु

**मासिक विवरण**

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

**परामर्श**

5 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

**रिपोर्ट**

10 मानव अधिकारों पर चौथा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

**लेख**

14 कैरियर निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण

15 स्वत: संज्ञान

18 राहत के लिए सिफारिशें

19 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

21 मामले का अध्ययन

22 घटनास्थल पूछताछ

**क्षेत्रीय दौरा**

23 एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा

24 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर का दौरा

**क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

25 मानव अधिकारों पर चौथा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

26 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

26 कार्यशालाएं

26 ज्ञानवर्धक दौरे

27 जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम

**अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी**

27 कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक

28 ऑनलाइन बैठकें

29 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**

31 **सपेक्ष में समाचार**

35 **आगामी कार्यक्रम**

35 **सितंबर, 2025 में शिकायतें**

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

RNI No. 61957/95

# मासिक विवरण

## महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

सितंबर 2025 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ देखने को मिलीं। मामलों के पंजीकरण और निपटान के अलावा, आयोग ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाज़ों का पुनः दावा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह शायद ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी वाला अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय स्तर का परामर्श सत्र था। समुदाय के सदस्यों ने अन्य हितधारकों, जिनमें एनएचआरसी, भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज शामिल थे, के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया ताकि विचार- विमर्श करके आगे बढ़ने का एक रचनात्मक रास्ता खोजा जा सके।

इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि भारत में कभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, लेकिन औपनिवेशिक कानूनों जैसे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (1871) और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। हालाँकि आधुनिक भारत में ये कानून रद्द और निरस्त कर दिए गए हैं, फिर भी कलंक और भेदभाव के निशान आज तक बने हुए हैं। 2011 की जनगणना में 4.87 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्ति (भारत की जनसंख्या का 0.04%) दर्ज किए गए थे। सिर्फ 56% की साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और कुछ रोजगार के अवसरों के साथ, समुदाय को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्ययन विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ उत्पीड़न, ड्रॉपआउट और हिंसा की खतरनाक दरों का खुलासा करते हैं। पिछले एक दशक में, ऐतिहासिक फैसले - नालसा (2014), पुट्टस्वामी (2017), नवतेज जौहर (2018) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने एक मजबूत कानूनी आधार तैयार किया है।

एनएचआरसी में, समावेशिता एक प्राथमिकता बनी हुई है। एलजीबीटीआई मुद्दों पर कोर ग्रुप (2018) के गठन से लेकर, कोविड-19 के दौरान परामर्शी जारी करने और गरिमा गृह आश्रयों (2024-25) का दौरा करने से लेकर 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाज़ों का पुनः दावा' रिपोर्ट जारी करने तक - ये सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एनएचआरसी जीवित वास्तविकताओं से सीखता है और अधिकारों को रोज़मर्रा के अनुभवों में बदलने के लिए काम करता है। मुख्य संदेश स्पष्ट है कि आश्रय केवल चार दीवारें नहीं हैं; यह सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल और सम्मान प्रदान करने का स्थान होना चाहिए। आश्रयों से परे, हमें अपनी पहचान पर सवाल उठाने वाले बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समर्थन, कानून प्रवर्तन तंत्र को संवेदनशील बनाना और रोजगार एवं उद्यम के लिए रास्ते खोलना सुनिश्चित करना होगा।

भविष्य की राह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच सहयोग की माँग करती है। गांधीजी ने हमें याद दिलाया था कि किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसलिए, हमें याद रखना चाहिए कि समावेश कोई दान नहीं, बल्कि न्याय है; समानता कोई उपकार नहीं, बल्कि एक अधिकार है और गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता, यही मानव होने का सार है। न्यूज़लेटर के इस संस्करण में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

इस सम्मेलन के अलावा, आयोग ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के लिए मानव अधिकारों पर चौथा आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 12 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के 43 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है और यह वैश्विक मानव अधिकार संवाद, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अधिकार-आधारित शासन की सामूहिक उन्नति के प्रति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसने सामूहिक कल्याण के लिए सामाजिक-आर्थिक प्रगति और मानव विकास को बढ़ावा देने में सहकर्मी शिक्षण और सहयोग को भी प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम ने भारत के समृद्ध और विविध सांस्कृतिक लोकाचार पर प्रकाश डाला, जिसमें विभिन्न धार्मिक आस्थाएँ, जातियाँ, भाषाएँ, बोलियाँ और कला-रूप शामिल हैं; ये सभी सदियों से साझा परंपराओं और मूल्यों के माध्यम से एकता में फल-फूल रहे हैं। इसने मानव अधिकारों और मूल्यों के सम्मान के भारतीय लोकाचार की बेहतर समझ प्रदान की, साथ ही वैश्विक दक्षिण में साझा चिंताओं के मुद्दों पर आपसी सीख को बढ़ावा दिया। इस संस्करण में इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

सितंबर में, आयोग ने अपने ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम का एक और चरण आयोजित किया। समय के साथ, ओएसटीआई युवा मन को मानव अधिकारों और जीवन मूल्यों के महत्व के प्रति उन्मुख और संवेदनशील बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में विकसित हुआ है। ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम ने यह सुनिश्चित किया है कि दूरदराज, जंगली और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले छात्र, जो व्यक्तिगत इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए दिल्ली की यात्रा और प्रवास नहीं कर सकते, अपने ही स्थानों से सीख सकें। इन इंटर्नशिप का उद्देश्य प्रतिभागियों को मानव अधिकारों के दूत के रूप में सशक्त बनाना है, जिससे वे रोज़मर्रा की परिस्थितियों में, चाहे वह घर हो, कार्यस्थल हो या सार्वजनिक स्थान, न्याय और अन्याय को पहचान सकें और उसका जवाब दे सकें। प्रशिक्षुओं का चयन

मानव अधिकार समर्थन में सार्थक योगदान देने और नेतृत्व करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है।

मानव अधिकार समय के साथ निरंतर विकसित होते रहते हैं और नई चिंताएँ भी सामने लाते हैं, जैसे जलवायु न्याय, जिसके अनुसार 2030 तक लगभग 12 करोड़ लोगों के विस्थापन का खतरा है; तेज़ी से तकनीकी प्रगति के युग में साइबर सुरक्षा और गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वालों के अधिकार, जिनमें अक्सर पारंपरिक नौकरियों जैसी सुरक्षा और संरक्षण का अभाव होता है। इस बदलते परिदृश्य में निष्पक्षता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकारों का समर्थन बेहद ज़रूरी है।

इस महीने में मुझे राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में शामिल होने के अवसर भी प्राप्त हुए। इसमें मुंबई में आयोजित GDHS 2025 में मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर मुख्य भाषण भी शामिल था। लगभग 15% भारतीय अपने जीवनकाल में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी 70-90% को समय पर देखभाल नहीं मिल पाती। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता कैसे लगाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और नई डिजिटल पहल महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, लेकिन हमें बच्चों, छात्रों, पेशेवरों, जेल के कैदियों, बुजुर्गों और मानसिक आघात या भावनात्मक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और आगे बढ़ना होगा।

भविष्य की राह परिवार और समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों, शीघ्र पहचान, कलंक-मुक्ति, जागरूकता पैदा करने, युवाओं में सहानुभूति पैदा करने, संस्थानों को मज़बूत बनाने और प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने में निहित है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इस बात पर विचार करने का एक अवसर है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक क्या हासिल किया गया है और आगे क्या करने की आवश्यकता है। एनएचआरसी इस मुद्दे के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है।

डिमेंशिया बुजुर्गों के सामने एक और चिंता का विषय है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 'डिमेंशिया और मानव अधिकार: सम्मान, संरक्षण और नीतिगत अनिवार्यताएँ' विषय पर डिमेंशिया रणनीति पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक का उद्घाटन करते हुए, मैंने बुजुर्ग आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों और डिमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला। कलंक और धोखाधड़ी तथा साइबर अपराध के प्रति संवेदनशीलता उनकी गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन करती है। हमारे घरों में बुज़ुर्गों की देखभाल की एक प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाए गए तरीके में एकरूपता के तत्व की आवश्यकता है, जो कि एकल परिवार की बढ़ती अवधारणा के साथ हमारे समाज में लुप्त होती जा रही है। सरकार और एनएचआरसी द्वारा की गई प्रमुख पहल, जिसमें बुज़ुर्गों के अधिकारों पर इसके कोर ग्रुप से इनपुट, परामर्शी, स्वतःसंज्ञान हस्तक्षेप और डिमेंशिया अनुसंधान के लिए समर्थन शामिल हैं, नागरिक समाज की कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक हैं।

भ्रष्टाचार मानव अधिकारों पर प्रभाव डालता है। यह सिर्फ़ शासन की चुनौती नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला एक आपराधिक अपराध है। यह विश्वास को कमज़ोर करता है, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, क़ानून के शासन को कमज़ोर करता है और ग़रीबों व कमज़ोर लोगों को बेहिसाब नुकसान पहुँचाता है। यह व्यवस्थागत समस्याओं की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म देता है: बच्चे शिक्षा के अवसरों से वंचित हो जाते हैं, परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, पोषण और आवास की सुविधा नहीं मिलती, जबकि समुदायों को दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षरण का सामना करना पड़ता है। संविधान, न्यायपालिका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय और अन्य वैधानिक निकाय सामूहिक रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। पिछले एक दशक में, भारत के डिजिटल शासन सुधारों ने भ्रष्टाचार में भारी कमी की है। भारत ने अधिकारों की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक मज़बूत संस्थागत और कानूनी ढाँचा तैयार किया है।कोलंबो, श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में, मैंने 'भ्रष्टाचार और मानव अधिकार - भारत का अनुभव और संस्थागत प्रतिक्रिया' पर मुख्य भाषण देते हुए भारतीय संस्थागत ढांचे की मजबूती पर प्रकाश डाला, जिसके बाद एक गहन प्रश्नोत्तर सत्र हुआ।

करियर बनाते हुए चरित्र निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यूज़लेटर के इस संस्करण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन  द्वारा इस विषय पर एक गहन और विचारोत्तेजक लेख प्रस्तुत किया गया है, जो पढ़ने में रोचक है।

भारत की ताकत केवल तकनीक में ही नहीं, बल्कि उसके सभ्यतागत लोकाचार, पारंपरिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता, सद्भाव, समावेशिता और लचीलेपन के मूल्यों में भी निहित है। ये हमें विश्व के लिए नैतिक और विश्वसनीय विज्ञान को आकार देने में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकसित करने पर केंद्रित पाँचवें INSA-NCGG LEADS कार्यक्रम ने मुझे उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान किया, जो भारत के वैज्ञानिक संस्थानों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं।

इस अंक में एनएचआरसी, भारत के अधिकारियों के पूरे महीने के दौरों और प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत रिपोर्ट भी शामिल है, जो आयोग की निरंतर समर्थन और कार्रवाई का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

**भरत लाल**

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## परामर्श

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर विभिन्न परामर्श आयोजित करता है।इसमें विभिन्न हितधारकों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सम्मेलन, खुली चर्चाएँ, राष्ट्रीय सेमिनार और संगोष्ठियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श की मुख्यधारा में लाना, समस्याओं की पहचान करना और सरकार को आगे बढ़ने के लिए सुझाव देने हेतु समाधान ढूँढना है। 4 सितंबर, 2025 को आयोग ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाज का पुनः दावा' विषय पर केंद्रित ऐसा ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

# 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन  ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, न्यायिक एवं कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता, नागरिक समाज संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, शिक्षाविद और सामुदायिक नेता तथा अन्य हितधारक उपस्थित थे।

ईशावास्य और छांदोग्य उपनिषदों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन  ने भारत की समृद्ध परंपरा पर प्रकाश डाला, जिसमें समानता की अवधारणा को गहन ऊंचाइयों तक पहुँचाया गया है, जहाँ उपनिषदों में सृष्टि के प्रत्येक तत्व को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी विश्वदृष्टि में, सृष्टि का कोई भी अंग दूसरे द्वारा भेदभाव का शिकार कैसे हो सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये मूलभूत प्रश्न ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर इस सम्मेलन के आयोजन के निर्णय के मूल में हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

उन्होंने देखा कि मानव अधिकारों का आधुनिक विकास मुख्यतः एक द्विआधारी ढाँचे के भीतर संचालित हुआ है। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) में "पुरुष" शब्द के स्थान पर "मानव" शब्द जोड़ देने मात्र से हमारी गहरी रूढ़िवादी विचार प्रक्रिया में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। समाज आज भी यही सोचता है कि केवल पुरुष और महिला ही मानव जाति का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं और हो सकते हैं जो पुरुष और महिला के इस द्विआधारी ढाँचे में फिट नहीं बैठते। यह एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार करने के लिए सभी समाज अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोज़गार, आवास और यहाँ तक कि शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में व्यापक भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन  ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में भारत कई देशों से आगे है। समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामूहिक रूप से उपनिषदों के समावेशी दर्शन को एक संवैधानिक विषय में बदलने के लिए काम किया है, जिसे अदालती आदेश और आगे ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के माध्यम से कानून में अनुवादित किया गया। हालाँकि, धारा 4, 5, 6, 7, 12(3), 18(ए) और 18(डी) के तहत इसके प्रावधानों की संवैधानिकता वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन है। यह इस तथ्य की मान्यता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 4.88 लाख अनुमानित ट्रांसजेंडर आबादी को मुख्यधारा से बाहर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एनएचआरसी को इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त है।

▶ उपस्थित लोगों का समूह

इससे पहले, अपने विशेष संबोधन में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, श्री अमित यादव ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित किसी भी व्यक्ति को भेदभाव का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लागू किया गया 2019 का अधिनियम, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उनके कल्याण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों को मूर्त रूप देने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कई सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला, जैसे कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद का गठन, गरिमा गृहों को समर्थन देने वाली SMILE योजना का शुभारंभ और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण।

श्री यादव ने ज़ोर देकर कहा कि नीतिगत सुधार एक सतत प्रक्रिया है। समुदाय की प्रतिक्रिया के आधार पर, सरकार ने 2025 में गरिमा गृहों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। स्वास्थ्य सेवा के लिए,

▶ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव विशेष संबोधन देते हुए

ट्रांसजेंडर आयुष कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब तक 50 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोगों और नागरिक समाज जैसी संस्थाओं से भी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने यह भी बताया कि 2019 अधिनियम के अनुरूप रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल शुरू की गई है। प्रशिक्षित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पहला बैच अपने प्रशिक्षण के पूरा होने के करीब है और उनके लिए विशेष रूप से रोज़गार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री यादव ने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन कर रही है और सुझावों का स्वागत करती है, साथ ही कहा कि वित्त पोषण कोई बाधा नहीं है। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की योजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ट्रांसजेंडर मुद्दों पर छात्रों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग

के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान, समावेश और समान अवसर को बढ़ावा देने में एनएचआरसी सम्मेलन जैसे मंचों के महत्व को रेखांकित करते हुए समापन किया।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि मानवीय गरिमा अविभाज्य है; और किसी समाज की सच्ची पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे हाशिए पर पड़े और कमज़ोर समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उच्च सम्मान दिया जाता था। दुर्भाग्य से, आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 ने इस समुदाय को 'आपराधिक जनजाति' के रूप में वर्गीकृत किया। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद, 1952 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। इसके अलावा, तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 377 ने 'गैर-विषमलैंगिक-मानक यौन व्यवहार' को भी अपराध घोषित कर दिया था। यह भी अब इतिहास का हिस्सा बन गया है।

श्री लाल ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 4.88 लाख व्यक्तियों ने खुद को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचाना। यह भारत की जनसंख्या का केवल 0.04% है। फिर भी, इन आंकड़ों के पीछे एक कठोर वास्तविकता छिपी है: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में केवल 56.07% की साक्षरता दर, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है; औपचारिक रोजगार तक सीमित पहुंच और सहायक, लिंग-पुष्टि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में व्यापक बाधाएं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ीकरण भी एक बड़ी बाधा है। 'लिंग पहचान प्रमाण पत्र' की अनुपलब्धता कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और न्याय तक उनकी पहुंच को अवरुद्ध करती है। उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसजेंडर बच्चों का समर्थन देखभाल के साथ करना चाहिए, न कि अस्वीकार करना; बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना; कानून प्रवर्तन को सुरक्षात्मक सहयोगी बनाना, न कि धमकी देना

श्री भरत लाल ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2012 से की गई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के लिए समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों की सुरक्षा और संवर्धन तथा उनकी गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2001-02 में, आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के साथ-साथ स्वापक औषधि और मनोविकारी पदार्थ अधिनियम की समीक्षा की सिफ़ारिश की थी। 2018 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय पर केंद्रित LGBTI मुद्दों पर एक कोर ग्रुप का गठन किया। 2020 में, कोविड-19 महामारी के दौरान, इसने LGBTQ+ समुदाय की सुरक्षा के लिए एक एडवाइजरी जारी की। 15 सितंबर, 2023 को, आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्शी जारी की। उन्होंने यह भी बताया कि 2024-25 के दौरान, एनएचआरसी की टीम ने पहले चरण में स्थापित 12 गरिमा गृह आश्रयों का दौरा किया, ताकि ज़मीनी स्तर की जानकारी जुटाई जा सके और साक्ष्य-आधारित भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जा सके। निष्कर्षों को एक रिपोर्ट के रूप में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक है, 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाज़ों का पुनः दावा - गरिमा गृह आश्रयों और उससे आगे की अंतर्दृष्टि।' इस अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल सभा को संबोधित करते हुए

उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा, सम्मेलन तीन तकनीकी सत्रों और एक पैनल चर्चा में विभाजित था। 'गरिमा गृह आश्रयों का सुदृढ़ीकरण' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता आयकर विभाग की मुख्य आयुक्त श्रीमती अनीता सिन्हा ने की। पैनलिस्टों में राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती बी. राधिका चक्रवर्ती; यूएनडीपी, भारत की उप-निवासी प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल त्सचन; दोस्ताना सफ़र, पटना की सुश्री रेशमा प्रसाद और तपिश फाउंडेशन, गरिमा गृह के सह-निदेशक श्री निकुंज जैन शामिल थे।

'जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग बच्चों और बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संस्थागत देखभाल' विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. डीएम मुले ने की। पैनलिस्टों में एनसीपीसीआर के सदस्य सचिव डॉ. संजीव शर्मा; एनएचआरसी की विशेष मॉनिटर और कोर ग्रुप सदस्य सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी; ट्वीट फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक सुश्री अभिना अहेर और सृष्टि मदुरै के संस्थापक, इंटरसेक्स और जेंडर क्वीर कार्यकर्ता श्री गोपी शंकर मदुरै शामिल थे।

'निष्पक्ष और समावेशी कानून प्रवर्तन ढांचे का निर्माण' विषय पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता एनएचआरसी की पूर्व सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा ने की, जिसमें पुडुचेरी की पुलिस महानिदेशक सुश्री शालिनी सिंह, आईपीएस; दिल्ली के पुलिस उपायुक्त श्री राम दुलेश; सहोदरी

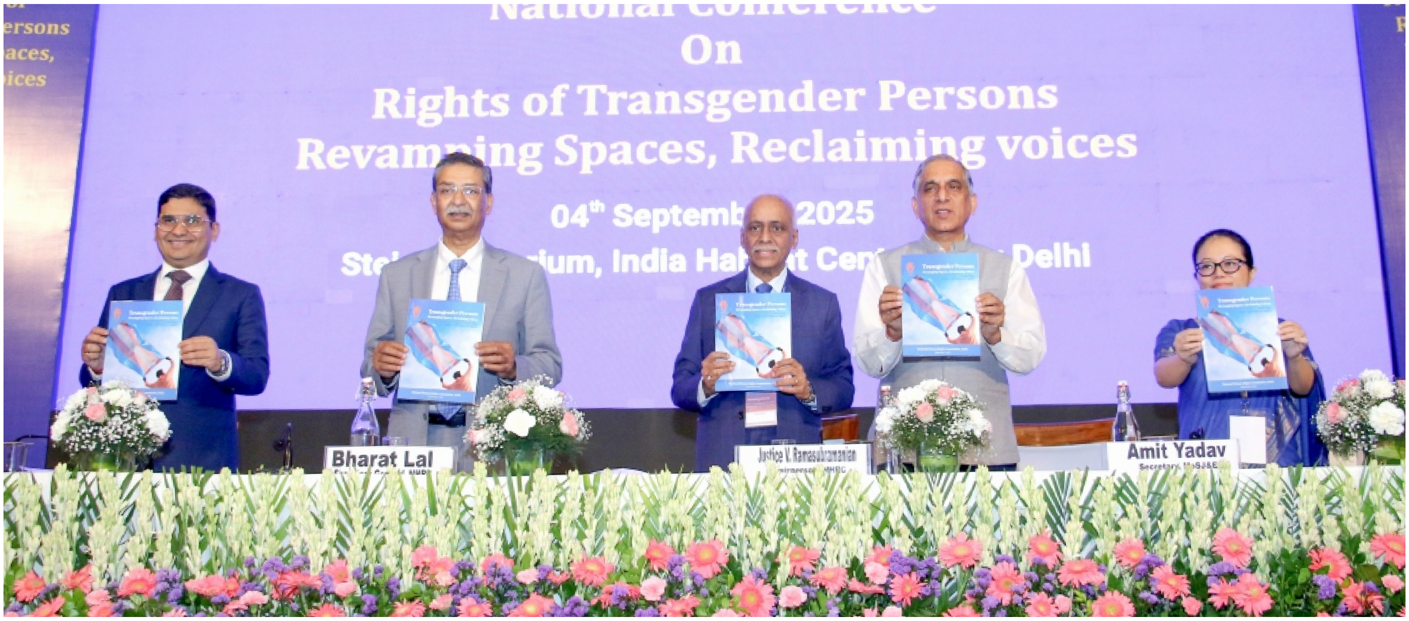


▶ 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाजों का पुनः दावा - गरिमा गृह आश्रयों और उससे आगे की अंतर्दृष्टि' नामक रिपोर्ट का विमोचन।

फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री कल्कि सुब्रमण्यम और ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता सुश्री श्रीगौरी सावंत ने भाग लिया।

समापन सत्र में, श्री भरत लाल ने चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्येक सत्र में, ट्रांसजेंडर समुदाय के पैनलिस्टों ने इस तथ्य को उजागर किया कि विभिन्न हाशिए पर पड़े समूहों में, वे सबसे असुरक्षित हैं। उन्होंने शिक्षा में अधिक निवेश, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच और अधिक अवसरों के सृजन के माध्यम से उनके समावेशन के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। हालाँकि कई राज्यों ने समावेशी उपाय शुरू किए हैं, फिर भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय, नागरिक समाज और सरकार को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और सभी को याद दिलाया कि सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि हालाँकि प्रगति हुई है, फिर भी अभी भी महत्वपूर्ण कार्य बाकी है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने अपने संबोधन में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को इसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, उन्होंने लैंगिक असमानता वाले बच्चों, रोज़गार में सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यस्थल समावेशन के उसके कवरेज की प्रशंसा की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस विचार को पुष्ट करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि समाज एक है और मानवता अविभाज्य है। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों

▶ डॉ. डी.एम. मुले, पूर्व सदस्य, एनएचआरसी सत्र की अध्यक्षता करते हुए

▶ श्रीमती ज्योतिका कालरा, पूर्व सदस्य, एनएचआरसी सत्र की अध्यक्षता करते हुए

▶ आयकर विभाग की मुख्य आयुक्त श्रीमती अनीता सिन्हा सत्र की अध्यक्षता करती हुईं

के मामले में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय मूल्यों में गहराई से निहित हैं। उन्होंने कार्यस्थलों में लैंगिक चुनौतियों के समाधान के लिए समाज के सभी क्षेत्रों में प्रयासों को बढ़ाने और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नीति आयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हितों को आगे बढ़ाने में किसी भी नीतिगत हस्तक्षेप और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

आरंभ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की उपमहानिरीक्षक श्रीमती किम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

▶ नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल अपना संबोधन देते हुए

एनएचआरसी, भारत की रिपोर्ट 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति: स्थानों का पुनरुद्धार, आवाजों का पुनः दावा - गरिमा गृह आश्रयों से प्राप्त जानकारी और उससे आगे के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- सभी राज्यों को परियोजना निगरानी समितियों (पीएमसी) को सक्रिय करना चाहिए, जिसमें जिला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां सौंपी जाएं तथा ट्रांसजेंडर मुद्दों के लिए पुलिस केन्द्र बिन्दुओं की नियुक्ति की जाए।
- लाभार्थियों को भोजन के लिए संशोधित आवंटन के साथ-साथ समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए; इसके अलावा शहरी और ग्रामीण आश्रयों के लिए संदर्भ-विशिष्ट वित्तीय मॉडल और एकमुश्त अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढांचे का समर्थन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्टाफिंग संरचना को बाजार मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा भूमिकाओं को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- आश्रय प्रमुखों को सरलीकृत और गोपनीयता-संवेदनशील प्रक्रियाओं के माध्यम से ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जारी करने में सहायता करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा में, व्यापक चिकित्सा व्यय को कवर किया जाना चाहिए, अस्पताल साझेदारी स्थापित की जानी चाहिए और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स सेवाओं के साथ-साथ आयुष्मान भारत टीजी प्लस को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।
- आश्रय गृहों में रहने की सुविधा को रोज़गार और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही नौकरी पोर्टलों से जुड़कर व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुँच बढ़ानी चाहिए, साथ ही POSH अधिनियम के तहत कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा या परीक्षा दे रहे लोगों के लिए भी इस सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बाल देखभाल और वृद्धाश्रमों की स्थापना के साथ-साथ लिंग-अनुरूपता न रखने वाले नाबालिगों को सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता है।
- अद्यतन आंकड़ों, सशक्त निगरानी और एक समर्पित मंत्रालयी डेस्क के माध्यम से अधिक पारदर्शिता आवश्यक है। ये सुधार गरिमा गृह को गरिमा, सशक्तिकरण और समावेशन का आधार बना सकते हैं।

रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को मज़बूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण और अनुभव साझाकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह कार्यक्रम मानव अधिकारों पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और अधिकार-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी, भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अफ्रीका, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के 43 वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए डिज़ाइन किए गए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे संस्करण को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इनमें मॉरीशस, जॉर्डन, जॉर्जिया, फिलीपींस, कतर, फिजी, उज्बेकिस्तान, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, मोरक्को और पैराग्वे के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) शामिल थे।

# मानव अधिकारों पर चौथा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन मानव अधिकारों पर चौथे आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

22 सितंबर, 2025 को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया विरोध, क्रोध, हताशा, असमानता, अनिश्चितता और राजनीतिक अशांति से ग्रस्त है। एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक - कार्नेगी की ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सौ से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, जो क्रोध, हताशा, सत्ता के दुरुपयोग, कथित सरकारी भ्रष्टाचार और मीडिया के दमन जैसे कारकों से प्रेरित थे।

उन्होंने कहा कि 2022 से 2025 के बीच, भारत के तीन पड़ोसी देशों में विरोध प्रदर्शनों ने सरकारें भी गिरा दीं। गौरतलब बात यह है कि जिन देशों में मानव अधिकार संस्थाएँ बहुत मज़बूत हैं, वहाँ ऐसे विरोध प्रदर्शन हिंसा में नहीं बदले। ये संस्थाएँ जन असंतोष के लिए सुरक्षा वाल्व का काम करती हैं।उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश, कुछ देशों में मानव अधिकार संस्थाओं को सरकार विरोधी माना जाता है, जबकि वास्तव में वे जनता के हितैषी हैं।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने भारत की अनूठी सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला, जिसमें विभिन्न धार्मिक आस्थाएँ, जातियाँ, भाषाएँ, बोलियाँ और कला-रूप शामिल हैं, जो साझा परंपराओं और मूल्यों के माध्यम से एकता में फल-फूल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक दक्षिण के देशों की मानव

**न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी**
सदस्य, एनएचआरसी, भारत

**डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले**
पूर्व सदस्य, एनएचआरसी, भारत

**श्री राजीव जैन**
पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

**डॉ. वी. के. पॉल**
सदस्य, नीति आयोग

**श्री राजीव कुमार**
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत

अधिकार मुद्दों के समाधान में समृद्ध परंपराएँ और अद्वितीय अनुभव हैं। एनएचआरसी, भारत, आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात विश्व एक परिवार है, के वैदिक लोकाचार की भावना को ध्यान में रखते हुए, एक साथ सीखने, साझा करने और एक साथ बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है।

अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मानव अधिकार निरंतर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने मानवता की भलाई के

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक वर्ग

**श्री भरत लाल**
महासचिव,
एनएचआरसी, भारत

**श्री युगल किशोर जोशी**
कार्यक्रम निदेशक,
नीति आयोग

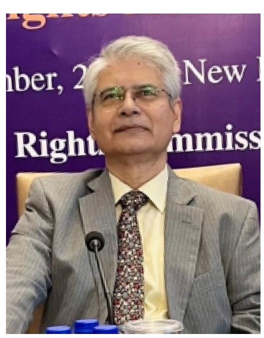

**राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी**
पूर्व स्थायी प्रतिनिधि
भारत से संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क

**श्रीमती सुमिता डावरा**
पूर्व सचिव,
श्रम रोजगार मंत्रालय

**श्री मनोज यादव**
पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण),
एनएचआरसी, भारत

**श्री अजय भटनागर**
पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण),
एनएचआरसी, भारत

**श्री सुरजीत डे**
पूर्व रजिस्ट्रार (विधि),
एनएचआरसी, भारत

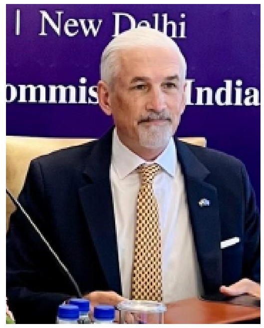

**श्री शोम्बी शार्प**
भारत में संयुक्त राष्ट्र के
रेजिडेंट समन्वयक

**सुश्री सुनीता नारायण**
महानिदेशक, सीएसई

**श्री समीर कुमार**
संयुक्त सचिव,
एनएचआरसी, भारत

लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता साझा करने की भारत की परंपरा को रेखांकित किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण के देशों में साझा चिंता के मुद्दों पर आपसी सीख की आशा के साथ तैयार किया गया है। ये चुनौतियाँ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से लेकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती तकनीकों तक, विविध क्षेत्रों में फैली हो सकती हैं। उन्होंने वैश्विक दक्षिण से

▶ वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक अन्य वर्ग

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन समापन सत्र को संबोधित करते हुए

सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और मानव विकास को आगे बढ़ाने में एकजुट होने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सत्र शामिल थे और प्रतिभागियों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ भारत के लोगों द्वारा प्राप्त सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।

विभिन्न सत्रों के वक्ताओं में एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन; सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी; महासचिव, श्री भरत लाल; श्री वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग; श्री राजीव कुमार, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त; डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले और श्री राजीव जैन, पूर्व सदस्य, एनएचआरसी; श्री युगल किशोर जोशी, मिशन निदेशक, नीति आयोग; राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि; श्री शोम्बी शार्प, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक, भारत; सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारत; श्रीमती सुमिता डावरा, पूर्व सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय; श्री मनोज यादव और श्री अजय भटनागर, पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी; श्री सुरजीत डे, पूर्व रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी और श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी शामिल थे। कार्यक्रम में विभिन्न एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

▶ जारी समापन सत्र

समापन सत्र में, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन  ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों के सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जापूर्ण योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवादात्मक आयोजनों से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा आशा जगाती है और संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण समय में एक बेहतर भविष्य का आधार बनती है। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत प्राचीन भारतीय लोकाचार के अनुरूप एक साथ सीखने, साझा करने और एक साथ बढ़ने का मंच प्रदान करने के लिए आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखेगा।

नाइजीरियाई एनएचआरआई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के सुझाव को आगे बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन  ने कहा कि वास्तव में अब समय आ गया है कि वैश्विक दक्षिण मानव अधिकार संस्थाओं का एक गठबंधन बनाने के बारे में सोचा जाए, क्योंकि सभी देशों के लिए एक ही दृष्टिकोण, उनकी अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए, मानव अधिकार मुद्दों के समाधान का समाधान नहीं हो सकता। प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत और विदेश मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान वाले लोकतंत्र में मानव अधिकारों, सुशासन और मानव अधिकारों के सम्मान की प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला। प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय, भारतीय संसद, गरबा महोत्सव और ताजमहल जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर जाकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गहन अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर मिला।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव और कार्यक्रम समन्वयक श्री समीर कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए और उसे स्थापित करते हुए एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और ज्ञान के अमूल्य आदान-प्रदान की सराहना की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल और अन्य अधिकारीगण प्रतिभागियों के साथ

लेख

# कैरियर निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण

**- न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन**
अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत

(12 सितंबर, 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के दीक्षांत समारोह में उनके भाषण के अंश)

मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। जोशिया फ्रैंकलिन एक लोहार और किसान थे। वे इंग्लैंड में रहते थे। वे अपनी पत्नी और पाँच बच्चों के साथ बोस्टन चले गए। दो और बच्चों को जन्म देने के बाद, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद, जोशिया फ्रैंकलिन ने एक और लड़की से शादी की और उनके दस और बच्चे हुए। उनके 17 बच्चों में से आखिरी बच्चे ने 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ साबुन और मोमबत्ती बनाने में मदद करने लगा। 12 साल की उम्र में, यह लड़का अपने बड़े भाई के साथ एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षु के रूप में काम करने लगा। उसे अपने पत्र प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उसने छद्म नाम से कुछ लिखा। पकड़े जाने पर, वह एक भगोड़े के रूप में फिलाडेल्फिया भाग गया। वहाँ वह एक प्रकाशक बन गया और फिलाडेल्फिया में एक अकादमी और कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में एक विश्वविद्यालय बना। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मिलकर, उसने अमेरिकी कॉलेज की एक नई आदर्श योजना बनाई। 1753 में, हार्वर्ड और येल, दोनों ने इस स्कूल छोड़ने वाले लड़के को कला में मानद मास्टर डिग्री प्रदान की। 1756 में, उन्हें विलियम एंड मैरी कॉलेज से कला में मानद स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुई। जून 1776 में, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने वाली पाँच सदस्यीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। स्कूल छोड़ने वाला यह बालक कोई और नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। वे न केवल एक शिक्षाविद थे, बल्कि एक विलक्षण आविष्कारक भी थे। उनके कई आविष्कारों में बिजली की छड़, फ्रैंकलिन स्टोव, द्विफोकसी चश्मा और फ्लेक्सीबल यूरिनरी कैथेटर शामिल थे। उन्होंने अपने आविष्कारों का कभी पेटेंट नहीं कराया; अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, "... चूँकि हम दूसरों के आविष्कारों से बहुत लाभ उठाते हैं, इसलिए हमें अपने किसी भी आविष्कार द्वारा दूसरों की सेवा करने का अवसर पाकर प्रसन्न होना चाहिए; और यह हमें मुक्त भाव से और उदारतापूर्वक करना चाहिए।"

बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिना कॉलेज गए और बिना स्कूली शिक्षा पूरी किए जीवन में इतना कुछ कैसे हासिल किया?

मछली एक कुशल तैराक होती है, चीता एक कुशल धावक होता है, बाज एक बेहतरीन उड़ान भरता है, और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने में माहिर होता है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए एक समान है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप इन सभी जीवों का आकलन उनकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से करेंगे, तो मछली निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। हर किसी में अलग-अलग प्रतिभाएँ, इच्छाएँ और दृष्टिकोण होते हैं। और जब शिक्षा हर चीज़ को एक समान आधार पर मानकीकृत करने का प्रयास करती है, तो ज़्यादातर लोग या तो दुखी होकर सफल होते हैं या फिर खुशी-खुशी भटक जाते हैं।

एक दिलचस्प उद्धरण जिसे कुछ लोग सोफिया लोरेन और कुछ लोग शेक्सपियर का मानते हैं, इस प्रकार है:

"जब मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास मिला, तो मंच चला गया। जब मुझे हारने का यकीन था, मैं जीत गया। जब मुझे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने अपने आँसू पोंछना सीखा, तो मुझे रोने के लिए एक कंधा मिला। जब मैंने नफ़रत करने का हुनर सीखा, तो कोई मुझे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा। और, घंटों उजाले का इंतज़ार करते-करते जब मैं सो गया, तो सूरज निकल आया। यही ज़िंदगी है!! आप चाहे जो भी योजना बनाएँ, आपको कभी नहीं पता कि ज़िंदगी ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। सफलता आपको दुनिया से परिचित कराती है। लेकिन असफलता दुनिया को आपसे परिचित कराती है। अक्सर जब हम उम्मीद खो देते हैं और सोचते हैं कि यही अंत है, तो ऊपर से ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, "शांत रहो, प्यारे; यह सिर्फ़ एक मोड़ है, अंत नहीं!"

फ्रैंकलिन ने अपने चरित्र को 13 गुणों की एक योजना के माध्यम से विकसित करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने 20 वर्ष की आयु में (1726 में) विकसित किया और जीवन भर किसी न किसी रूप में उनका अभ्यास करते रहे। उनकी आत्मकथा में उनके 13 गुण इस प्रकार हैं:

- संयम- सुस्ती के लिए मत खाओ; तृप्ति के लिए मत पियो।

- मौन रहें- केवल वही बोलें जो दूसरों या स्वयं के लिए लाभदायक हो; तुच्छ बातचीत से बचें।
- व्यवस्था बनाए रखें- अपनी सभी चीजों को अपनी जगह पर रखें; अपने काम के हर हिस्से को अपना समय दें।
- संकल्प- जो करना चाहिए उसे करने का संकल्प लें; जो संकल्प करें उसे अवश्य पूरा करें।
- मितव्ययिता- दूसरों या स्वयं की भलाई के लिए ही कोई व्यय न करें, अर्थात कुछ भी व्यर्थ न करें।
- उद्योग- समय न गँवाएँ; सदैव किसी उपयोगी कार्य में लगे रहें; सभी अनावश्यक कार्यों से दूर रहें।
- ईमानदारी- कोई हानिकारक छल-कपट न करें; निर्दोष और न्यायपूर्ण ढंग से सोचें, और यदि बोलें, तो उसी के अनुसार बोलें।
- न्याय- किसी को चोट पहुँचाकर या अपने कर्तव्य के अनुसार लाभ न देकर किसी के साथ अन्याय न करें।
- संयम- अति से बचें; चोटों के प्रति उतनी नाराजगी न दिखाएं जितनी आपको लगता है कि वे इसके लायक हैं।
- स्वच्छता- शरीर, वस्त्र या आवास में किसी भी प्रकार की अस्वच्छता बर्दाश्त न करें।
- शांति- छोटी-छोटी बातों या सामान्य या अपरिहार्य दुर्घटनाओं से विचलित न हों।
- शुद्धता- यौन-यौन शोषण का प्रयोग स्वास्थ्य या संतान के लिए ही करें, कभी भी सुस्ती, कमजोरी या अपनी या किसी अन्य की शांति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं।
- विनम्रता- यीशु और सुकरात का अनुकरण करें।

यदि शिक्षा व्यक्तियों को इन मानवीय गुणों को विकसित करने में मदद कर सकती है, जो हमारे जीवन को अधिक सार्थक और सफल बनाएंगे, तो हमें न केवल सशक्तिकरण और मुक्ति मिलेगी, बल्कि अगर हम भाग्यशाली हैं तो ज्ञान भी प्राप्त होगा।

*वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवसिनमनुशास्ति | सत्यं वद | धर्मं चर | स्वाध्यायन्मा प्रमदः| आचार्य प्रियं धनमहृत्य प्रजातन्तुम मा व्यवच्छेत्सिः |सत्यन्न प्रमदितव्यम् | धर्मान्नि प्रमादितव्यम् कुशलान्न प्रमादितव्यम् | भूत्यै न प्रमादितव्यम् | स्वाध्यायप्रवचनाभ्यम् न प्रमादितव्यम्|*

1. वेदों की शिक्षा देने के बाद, गुरु शिष्य को इस प्रकार निर्देश देता है: सत्य बोलो। धर्म का पालन करो। वेदों के स्वाध्याय की उपेक्षा मत करो। गुरु द्वारा वांछित दान लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और देखो कि वंश की रेखा न कटे। सत्य से विमुख मत हो। धर्म से विमुख मत हो। व्यक्तिगत कल्याण की उपेक्षा मत करो। समृद्धि की उपेक्षा मत करो। वेदों के अध्ययन और अध्यापन की उपेक्षा मत करो।

*देवपितृकार्याभ्यं न प्रमदितव्यम् | मातृदेवो भव पितृदेवो भव | आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव | यान्यानवद्यानि कर्माणि | तानि सेवितव्यानि | नो इतराणि | यान्यस्माकं सुचरितानि | तानि त्वयोपस्यानि|*

2. देवताओं और पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। अपनी माता को ईश्वर मानें। अपने पिता को ईश्वर मानें। अपने गुरु को ईश्वर मानें। अपने अतिथि को ईश्वर मानें। जो भी कर्म दोषरहित हों, उन्हें ही करना चाहिए - दूसरों को नहीं। हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें आपको ही करना चाहिए - दूसरों को नहीं।

# स्वतःसंज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु मीडिया रिपोर्ट्स एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को राहत पहुँचाई है। सितंबर, 2025 के दौरान, आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 20 मामलों की जाँच की और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किए। आयोग के स्वतः संज्ञान के मुद्दों में खराब स्वास्थ्य सेवाएँ, सीवर की सफाई के दौरान मौतें और पत्रकारों पर हमले प्रमुख थे। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

## मीडियाकर्मी पर हमला

(केस संख्या 245/3/29/2025)

9 सितंबर, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि 7 सितंबर, 2025 को असम के लुमडिंग रेलवे इंस्टीट्यूट के पास कुछ असामाजिक तत्वों के एक समूह ने एक मीडियाकर्मी पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना आधी रात के आसपास हुई जब पीड़ित काम के बाद घर लौट रहा था। खबर है कि पुलिस ने उसे बचाया और अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उसने अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लुमडिंग प्रेस क्लब और स्थानीय नागरिकों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पत्रकारों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग की है। आयोग ने असम के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## अस्पताल में लावारिस शवों का ढेर

(केस संख्या 516/33/14/2025)

9 सितंबर, 2025 को, मीडिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शवों का ढेर लगा हुआ है क्योंकि एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह आवंटित नहीं की गई थी। कथित तौर पर, तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिला प्रशासन ने लगभग तीन साल पहले लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन एकड़ जमीन आवंटित की थी, जहाँ उक्त एनजीओ द्वारा 800 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। कथित तौर पर, मिट्टी भरने के बाद जमीन का पुन: उपयोग किया जा सकता था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खराब चिकित्सा सेवाएं

(केस संख्या 2676/12/22/2025)

9 सितंबर, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाएंराष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थितबरेला, जबलपुर में,मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद खराब है। जैसा कि समाचार रिपोर्ट में बताया गया है, डॉक्टर रात की पाली में अस्पताल नहीं आते। मरीजों, खासकर दुर्घटनाओं में घायल हुए मरीजों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के लिए भी जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। कुछ मामलों में, स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण कुछ घायलों की जान भी चली गई है। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

## अस्पताल में डॉक्टरों और बुनियादी ढांचे की कमी

(केस संख्या 2037/7/3/2025)

9 सितंबर, 2025 को मीडिया ने हरियाणा के फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा संचालित सुपर स्पेशियलिटी E S I C अस्पताल में डॉक्टरों और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण मरीजों को हो रही कठिनाइयों के बारे में खबर दी। रिपोर्ट के अनुसार, अकेले पलवल और फरीदाबाद में ही 6.5 लाख से ज़्यादा ESIC कार्डधारक हैं और दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से भी बड़ी संख्या में मरीज़ हृदय, कैंसर, न्यूरो और आंतों के संक्रमण आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं। उन्हें आपातकालीन वार्ड में भी इलाज के लिए कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और ESIC के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में सुविधाओं की कमी के कारण नवजात शिशु की मृत्यु

(केस संख्या 4430/30/0/2025)

10 सितंबर, 2025 को मीडिया में खबर आई कि एक बेसहारा मरीज़ के बच्चे की सरकारी मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS) के शौचालय में प्रसव के बाद सुविधाओं के अभाव में मौत हो गई, जहाँ उसे 7 सितंबर, 2025 को अदालत के आदेश के तहत भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों को गर्भनाल काटने के लिए क्लैंप का इंतज़ाम करने में काफ़ी समय लगा। हालाँकि बाद में उन्हें एम्बुलेंस से स्वामी दयानंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। इसलिए, आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## पुलिस लाठीचार्ज में मौत और चोटें

(केस संख्या 18476/24/32/2025)

12 सितंबर, 2025 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में पुलिस लाठीचार्ज में एक ग्रामीण की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। यह घटना 9 सितंबर, 2025 को हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पाँच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गाजीपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## सीवर की सफाई करते समय मौत

(केस संख्या 4586/30/6/2025)

18 सितंबर, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 16 सितंबर, 2025 को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि उनके सहकर्मियों ने बताया कि जिस निजी निर्माण कंपनी ने उन्हें सीवर की सफाई के लिए नियुक्त किया था, उसने उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें जाँच की स्थिति और घायल मजदूरों के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है। मृतकों के परिजनों और घायल मजदूरों को दिए गए मुआवजे का विवरण भी मांगा गया है।

## दो सफाई कर्मचारियों की मौत

(केस संख्या 2171/22/36/2025)

23 सितंबर, 2025 को मीडिया में खबर आई कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवेरुम्बुर के मुथुनगर इलाके में कार्मेल गार्डन के पास एक नवनिर्मित भूमिगत जल निकासी पाइपलाइन पर

काम करते समय 22 सितंबर, 2025 को दम घुटने से दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें तिरुचि निगम के काम के लिए एक निर्माण कंपनी ने नियुक्त किया था। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर निगम के आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें जाँच की स्थिति और मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

## विस्फोट पीड़ितों के पुनर्वास में देरी

(केस संख्या 1107/19/7/2025)

23 सितंबर, 2025 को मीडिया में खबर आई कि पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गाँव में एक एलपीजी टैंकर में हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत और कई संपत्तियों के नुकसान के एक महीने बाद भी, प्रभावित परिवार अपने घरों और दुकानों को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खबर है कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा जारी कर दिया है। हालाँकि, संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी भी जारी है।.आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को नोटिस जारी कर मामले पर जांच की स्थिति सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## अस्पताल के पास शिशु का कटा हुआ सिर लिए धूमता आवारा कुत्ता

(केस संख्या 979/19/15/2025)

27 अगस्त, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 26 अगस्त, 2025 को पंजाब के पटियाला जिले के सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास एक आवारा कुत्ता एक शिशु का कटा हुआ सिर ले जाता हुआ देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, मरीजों के तीमारदारों ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्ते अक्सर अस्पताल परिसर में खुलेआम घूमते पाए जाते हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की ओर से खराब साफ-सफाई, सुरक्षा की कमी और लापरवाही का भी आरोप लगाया। इसलिए, आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि अस्पताल से कोई भी शिशु लापता नहीं हुआ है और हाल ही में हुई बच्चों की मौत के सभी मामलों में, उचित दस्तावेज़ों के बाद शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कथित तौर पर आशंका जताई है कि किसी ने शवों को अस्पताल परिसर के बाहर फेंक दिया होगा।

## इमारत ढहने से 17 लोगों की मौत

(केस संख्या 2147/13/16/2025)

28 अगस्त, 2025 को मीडिया में खबर आई कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके में एक चार मंजिला अपार्टमेंट का एक हिस्सा 27 अगस्त, 2025 को ढह गया, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह इमारत अनाधिकृत थी और इसका निर्माण एक दशक से भी पहले हुआ था। हालाँकि, निवासी वसई-विरार नगर निगम (VVCMC) को कर चुका रहे थे, यह मानते हुए कि नोटरीकृत दस्तावेजों के अनुसार इमारत अधिकृत थी। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

कथित तौर पर, वीवीसीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इमारत घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण गिरी होगी। निवासियों को इमारत खाली करने के लिए तीन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इमारत का पिछला हिस्सा, जिसमें लगभग 12 फ्लैट थे, ढह गया। इमारत में लगभग 50 फ्लैट और आधा दर्जन दुकानें थीं।

## पत्रकार पर हमला

(केस संख्या 1447/18/10/2025)

30 अगस्त, 2025 को मीडिया ने एक पत्रकार पर हुए एक और हमले की खबर दी। यह घटना 29 अगस्त, 2025 को ओडिशा के नबरंगपुर जिले के पापड़हांडी इलाके में हुई। पत्रकार पर एक नशेड़ी ने चाकू से कई वार किए, क्योंकि उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और घायल पत्रकार की स्वास्थ्य स्थिति का ब्यौरा शामिल होने की अपेक्षा है।

## 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या

(केस संख्या 3408/4/26/2025)

31 अगस्त, 2025 को मीडिया में खबर आई कि बिहार के पटना जिले के मनेर इलाके में एक बगीचे के रखवाले ने 26 अगस्त, 2025 को 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पीड़िता के शव को एक पेड़ से लटका दिया। पीड़िता लकड़ियाँ चुनने गई थी, तभी अपराधी ने उसे अमरूद का लालच देकर बगीचे के पास एक कमरे में ले जाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मृतक के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे (यदि कोई हो) का भी विवरण शामिल हो।

# राहत के लिए सिफारिशें

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफ़ारिश करना है। यह नियमित रूप से मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफ़ारिशें देता है। सितंबर, 2025 में, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले मामलों के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 45 मामलों की सुनवाई की गई, डिवीजन बेंच-I द्वारा 35 मामलों की और डिवीजन बेंच-II द्वारा 60 मामलों की सुनवाई की गई। 150 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक राहत पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी के लिए की सिफारिश की गई। 22 मामलों में यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

| क्र. सं. | केस नंबर | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 483/30/2/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | दिल्ली |
| 2 | 2597/18/3/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | ओडिशा |
| 3 | 3283/22/5/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | तमिलनाडु |
| 4 | 7075/24/54/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 7.50 | उत्तर प्रदेश |
| 5 | 7861/24/52/2020-ईस्वी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 6 | 2922/7/10/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | हरियाणा |
| 7 | 830/7/15/2021-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | हरियाणा |
| 8 | 1050/34/14/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 4.00 | झारखंड |
| 9 | 17/9/5/2021-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | जम्मू और कश्मीर |
| 10 | 2796/13/17/2021-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | महाराष्ट्र |
| 11 | 537/19/5/2021-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 10.00 | पंजाब |
| 12 | 5186/22/13/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 10.00 | तमिलनाडु |
| 13 | 1561/4/7/2023-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 2.00 | बिहार |
| 14 | 8622/24/2/2021-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 1.00 | उत्तर प्रदेश |
| 15 | 710/9/15/2024-जेके | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | जम्मू और कश्मीर |
| 16 | 13074/24/3/2022-ईस्वी | पुलिस हिरासत में मौत | 10.00 | उत्तर प्रदेश |
| 17 | 1398/25/15/2018-पीएफ | केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की हिरासत में मौत | 5.00 | पश्चिम बंगाल |
| 18 | 977/7/19/2024 | सीवर में मौतें | 20.00 | हरियाणा |
| 19 | 10033/24/72/2021 | वृद्ध व्यक्तियों का शोषण/देखभाल से इनकार | 0.1 | उत्तर प्रदेश |
| 20 | 2168/30/0/2023 | राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता | 10.00 | दिल्ली |

| क्र. सं. | केस नंबर | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12/11/15/2025 | कई लोगों द्वारा नाबालिग का यौन शोषण | 20.00 | केरल |
| 22 | 1130/18/21/2024 | असंगठित क्षेत्र में मृत्यु/चोट | 6.60 | ओडिशा |

# पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

सितंबर 2025 के दौरान, आयोग ने संबंधित लोक प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश देकर 52 मामले बंद कर दिए। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को 162 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

| क्र. सं. | केस नंबर | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588/4/9/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 4.00 | बिहार |
| 2 | 3728/30/9/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | दिल्ली |
| 3 | 1335/34/16/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | झारखंड |
| 4 | 489/34/10/2019-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | झारखंड |
| 5 | 225/13/14/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | महाराष्ट्र |
| 6 | 8/16/6/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | मिजोरम |
| 7 | 3306/20/26/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 7.50 | राजस्थान |
| 8 | 331/20/26/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | राजस्थान |
| 9 | 16720/24/13/2019-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 3.50 | उत्तर प्रदेश |
| 10 | 33190/24/22/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 11 | 1194/25/11/2020-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 7.00 | पश्चिम बंगाल |
| 12 | 5061/25/5/2022-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | पश्चिम बंगाल |
| 13 | 3567/30/6/2017-पीसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 7.50 | दिल्ली |
| 14 | 918/6/2/2023-पीसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | गुजरात |
| 15 | 10/8/11/2023-पीसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | हिमाचल प्रदेश |
| 16 | 2497/25/13/2023-पीसीडी | न्यायिक हिरासत में मौत | 5.00 | पश्चिम बंगाल |
| 17 | 1053/34/4/2020-ईस्वी | पुलिस हिरासत में मौतें | 5.00 | झारखंड |
| 18 | 990/7/11/2020-ईस्वी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | हरियाणा |

| क्र. सं. | केस नंबर | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3945/4/32/2022 | लापरवाही के कारण अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, कई लोगों की मौत | 8.00 | बिहार |
| 20 | 514/30/4/2024 | जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण न करना और जारी न करना | 0.5 | दिल्ली |
| 21 | 6448/30/8/2022 | ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की निष्क्रियता | 0.25 | दिल्ली |
| 22 | 1954/12/8/2022 | उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस की निष्क्रियता | 0.25 | मध्य प्रदेश |
| 23 | 415/18/7/2024 | लापरवाही के कारण स्कूल के शौचालय की छत गिरने से छात्र घायल | 1.00 | ओडिशा |
| 24 | 805/4/11/2024 | लापरवाही के कारण खुले शौचालय के टैंक में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई | 3.00 | बिहार |
| 25 | 478/4/6/2023 | छात्रों और अभिभावकों का उत्पीड़न | 0.5 | बिहार |
| 26 | 5001/4/1/2022 | स्कूल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न | 0.25 | बिहार |
| 27 | 6231/4/24/2022 | पुलिस कर्मियों द्वारा लड़के का यौन उत्पीड़न और पिटाई | 0.25 | दिल्ली |
| 28 | 1586/30/6/2023 | स्कूल परिसर में एक छात्रा का यौन उत्पीड़न | 0.25 | दिल्ली |
| 29 | 1340/34/10/2019 | पुलिस गोलीबारी में मौत | 5.00 | झारखंड |
| 30 | 1340/34/10/2019 | पुलिस गोलीबारी में मौत | 5.00 | झारखंड |
| 31 | 44649/24/52/2016-एएफई | फर्जी मुठभेड़ | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 32 | 1655/34/6/2022 | चिकित्सा लापरवाही | 4.00 | झारखंड |
| 33 | 2032/34/4/2022 | सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनियमितताएं | 4.00 | झारखंड |
| 34 | 91/34/6/2023 | राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता | 0.1 | झारखंड |
| 35 | 3402/18/8/2022 | बिजली का करंट लगने से मौत | 3.00 | ओडिशा |
| 36 | 947/18/1/2023 | बिजली का करंट लगने से मौत | 5.00 | ओडिशा |
| 37 | 19424/24/18/2021 | बिजली का करंट लगने से मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 38 | 34998/24/17/2022 | बिजली का करंट लगने से मौत | 5.00 | उत्तर प्रदेश |
| 39 | 1655/34/6/2022 | चिकित्सकीय लापरवाही | 4.00 | झारखंड |
| 40 | 17926/24/49/2021 | बाल अपहरण | 0.25 | उत्तर प्रदेश |
| 41 | 1544/34/11/2022-डब्ल्यूसी | वित्तीय कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी | 0.5 | झारखंड |
| 42 | 18775/24/27/2021-डब्ल्यूसी | यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज न करना | 0.5 | उत्तर प्रदेश |
| 43 | 19992/24/3/2022-डब्ल्यूसी | बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता | 2.00 | उत्तर प्रदेश |

| क्र. सं. | केस नंबर | शिकायत की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | प्राधिकरण |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 24874/24/69/2022-डब्ल्यूसी | भूत भगाने के संदेह में एक महिला को प्रताड़ित किया गया और घुमाया गया | 1.00 | उत्तर प्रदेश। |
| 45 | 1256/35/12/2016 | हिरासत में यातना | 0.5 | उत्तराखंड |
| 46 | 38146/24/21/2022 | हिरासत में यातना | 1.00 | उत्तर प्रदेश |
| 47 | 2768/25/22/2022 | हत्या के एक मामले में पुलिस की निष्क्रियता | 5.00 | पश्चिम बंगाल |
| 48 | 2517/24/43/2022 | पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण पीड़ित ने आत्महत्या कर ली | 3.00 | उत्तर प्रदेश। |
| 49 | 20631/24/1/2022 | एफआईआर दर्ज न करना | 0.25 | उत्तर प्रदेश। |
| 50 | 2644/20/25/2022 | पेंशन/मुआवजे का भुगतान न करना | 0.25 | राजस्थान |
| 51 | 7405/30/8/2021 | क्लिनिक में जबरन घुसने और महिला कर्मचारियों के शील भंग करने के मामले में पुलिस की निष्क्रियता | 0.5 | दिल्ली |

# केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, मामला-दर-मामला आधार पर, आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के राज्यों के दृष्टिकोण की खूबियों ने आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है अंतर्गत:

## पुलिस हिरासत में मौत

(केस संख्या 3817/18/5/2022-एडी)

यह मामला 2022 में ओडिशा के चामखंडी पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित है। कथित तौर पर, 1 अक्टूबर, 2022 की सुबह, पीड़ित को उसके पिता की शिकायत के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था, जिसमें उसके पिता ने दुर्व्यवहार, मारपीट और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहा था। बाद में दिन में, वह पुलिस स्टेशन के शौचालय के अंदर लटका पाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार पीड़ित के परिजनों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जो भुगतान किया गया था।

## न्यायिक हिरासत में मौत

(केस संख्या 1707/4/9/2020-एडी)

यह मामला एक 20 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था।2020 में जिला जेल बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार में। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़िता ने दिनदहाड़े आत्महत्या कर ली, जो स्पष्ट रूप से जेल अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए, आयोग ने बिहार सरकार को पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया। आयोग को यह भी बताया गया कि दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

## निर्माणाधीन सड़क पर बिना बैरिकेडिंग के कारण दुर्घटना मौत

(केस संख्या 2168/30/0/2023)

यह मामला 2023 में दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित है, जब उसकी कार बारापुला एलिवेटेड रोड के निर्माणाधीन हिस्से से लगभग 30 फीट नीचे गिर गई थी।कौन थाफ्लाईओवर को बिना किसी देखरेख और बिना बैरिकेड के छोड़ दिया गया था। अपने नोटिसों के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि प्राप्त रिपोर्ट में ज़िम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। यह पाया गया कि फ्लाईओवर के शुरू में या अंत में कोई बैरिकेड या साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था।इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि दिल्ली सरकार पीड़िता के निकटतम परिजन को 10 लाख रुपये की राहत राशि दे। आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।

## सीवेज सफाई के कारण मौत

(केस संख्या 977/7/19/2024)

मामला सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दो भाइयों की मौत से जुड़ा हैनॉर्थ पॉइंट परहरियाणा के सोनीपत जिले के बाज़ीदपुर सबोली गाँव के पास स्थित एक पैकेजिंग फैक्ट्री में 2024 में आग लगने की घटना हुई थी। अपने नोटिसों के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, आयोग ने पाया कि प्राप्त रिपोर्टें अस्पष्ट और अस्पष्ट थीं। इसलिए, आयोग ने हरियाणा सरकार से पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की।

## लड़की के साथ कई बार यौन उत्पीड़न

(केस संख्या 12/11/15/2025)

यह मामला केरल में एक नाबालिग लड़की के साथ 44 लोगों द्वारा बलात्कार से संबंधित था। अपने नोटिसों के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि रिपोर्टों में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि क्या राज्य ने पीड़िता को कोई सामाजिक सहायता प्रदान की, उसके पुनर्वास और वी दा वुमेन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एड आर्स, 2023 मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और अनुपालन के लिये क्या कदम उठाये गये थे। आयोग ने इन पहलुओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगने के अलावा यह भी सिफारिश की किकेरल सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति निगरानी समिति द्वारा पहले ही आदेशित राशि के अतिरिक्त 20 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे। आयोग ने 15 जनवरी, 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।

## पत्थर विस्फोट से मौत

(केस संख्या 1130/18/21/2024)

यह मामला 2024 में ओडिशा के गजपति ज़िले में अवैध पत्थर विस्फोट के कारण दो मज़दूरों की मौत से जुड़ा है। एक बड़े पत्थर से वे कुचल गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों से प्रेरित अनधिकृत और अवैध खनन गतिविधियों के कारण हुई। नियामक दिशानिर्देशों के इस उल्लंघन के कारण चट्टान अस्थिर हो गई, जिससे वह ढह गई।

अपने नोटिसों के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि मामले की रिपोर्ट पहले भी की गई थी लेकिन राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से चल रही थी और कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। यह बताया गया कि जिला रेड क्रॉस फंड से 1 सितंबर, 2023 के आदेश के तहत 60,000 रुपये मंजूर किए गए थे। मृतक के निकटतम संबंधियों (N o K) को 30,000 रुपये का भुगतान किया गया था। इसने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राहत राशि पीड़ितों की चूक और चोटों की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार मृतक के NoK को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे। तदनुसार, मृतक मजदूरों के NoKs को प्रत्येक को 3.3 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

# घटनास्थल पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की मौके पर जाँच करने के लिए अपने जाँच अधिकारियों की एक टीम नियुक्त करता है। सितंबर 2025 में निम्नलिखित मौके पर जाँच की गई:

## केस संख्या 1333/1/10/2024-डब्ल्यूसी

1 से 5 सितंबर, 2025 तक, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के छात्रावास के शौचालय से ली गई तस्वीरों और वीडियो के मामले में एक घटनास्थल जांच की गई।

## केस संख्या: 1674/7/22/2023

2 से 5 सितंबर, 2025 तक, हरियाणा के पलवल में एक मुस्लिम बहुल गांव से एक हिंदू परिवार को

सोशल मीडिया पर रोहिंग्या विरोधी पोस्ट साझा करने के कारण कथित तौर पर हमला कर बाहर निकालने के मामले में मौके पर जांच की गई।

### केस संख्या 619/20/27/2022-पीसीडी

8-9 सितंबर, 2025 को, राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में मौके पर जांच की गई।

### केस संख्या 588/18/28/2025

8 से 12 सितंबर, 2025 तक ओडिशा के खुदरा में एक मौके पर जांच की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारियों की कई कार्रवाइयों के कारण 6.2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और ठगी के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया और पीड़ितों को फंसा दिया गया।

### केस संख्या 4534/22/13/2022-पीसीडी

15-18 सितंबर, 2025 तक, 29 सितंबर, 2022 को ग्रेटर चेन्नई, तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के आरोप की मौके पर जांच की गई।

### केस संख्या 1001/18/3/2024

15 से 18 सितंबर, 2025 तक, ओडिशा के कटक जिले के पुरीघाट क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में 13 जुलाई, 2024 को लगी आग की मौके पर जांच की गई।

### केस संख्या: 958/36/23/2024

22 से 26 सितंबर 2025 तक, आईआईटी बसरा, तेलंगाना में छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर सुरक्षा गार्डों द्वारा लोहे की छड़ों, लाठियों, घातक हथियारों और पत्थरों से किए गए हमले की मौके पर जांच की गई, कथित तौर पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी और संस्थान के कुलपति के निर्देश पर।

### केस संख्या 1079/36/7/2025

22 से 26 सितंबर 2025 तक, तेलंगाना के नलगोंडा में दो पक्षों के बीच नागरिक विवाद के एक मामले में पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के आरोप की मौके पर जांच की गई।

### केस संख्या 1031/34/9/2025-ईडी

22 से 26 सितंबर 2025 तक झारखंड के गोड्डा में एक आदिवासी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या की घटना की मौके पर जांच की गई।

# क्षेत्रीय दौरा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और संबंधित राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग के परामर्शों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, कारागारों और पर्यवेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं, जहाँ वे सरकारी अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। इन दौरों में, राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी अधिकारियों को प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र समाधान में मदद मिलती है।

## एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा

17 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने उप-रजिस्ट्रार (विधि) श्री इंद्रजीत कुमार के साथ विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से भेंट की। बैठक में पोलावरम परियोजना से संबंधित गंभीर चिंताओं और विस्थापित लोगों के मानवीय, वैध और अधिकार-सम्मत पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु बेदखली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हितधारकों के परामर्श से बेदखली संबंधी एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, और रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने सहित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

18 सितंबर, 2025 को, सदस्य ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पोलावरम पुनर्वास कॉलोनियों का दौरा किया और पैकेज, उचित आवास और सुविधाओं में देरी का सामना कर रहे विस्थापित समुदायों के मानव अधिकारों, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से कब्रिस्तानों, पानी की टंकियों, भूमि आवंटन और ग्रामीणों की चिंताओं के समाधान हेतु तिमाही निरीक्षणों के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध

किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के त्वरित हस्तक्षेप से बस स्टैंड पर सो रही एक महिला को अस्थायी आवास उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीणों का मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में इस संस्था में विश्वास पुनः स्थापित हुआ।

19 सितंबर, 2025 को, श्रीमती विजया भारती सयानी ने केंद्रीय कारागार, राजमहेंद्रवरम का दौरा किया और जेल की सुविधाओं, समस्याओं और समग्र प्रबंधन का जायजा लिया। जेल अधीक्षक ने इलाज के लिए रेफरल अस्पतालों में भेजे जाने वाले कैदियों को अनुरक्षक उपलब्ध कराने की चुनौती से भी अवगत कराया। टीम ने जेल के महिला वार्ड का भी दौरा किया और कैदियों से बातचीत की। भोजन, रसोई, औषधालय आदि की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। कैदियों को उनके मामलों की प्रक्रिया में सहायता के लिए कानूनी सहायता अधिवक्ताओं की उपलब्धता पर ज़ोर दिया गया।

इसके अलावा, नेल्लोर के संयुक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आयोग के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एक मामले में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बावजूद, एक पूर्व सैनिक को उसकी हक़दार ज़मीन नहीं दी गई और दूसरे मामले में, जाँच क़ानून के अनुसार नहीं की गई। अधिकारियों को ज़रूरी कमियों और अनुपालन संबंधी जानकारी दी गई, जिन्होंने तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने और आयोग को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया।

## विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, कारागारों, संप्रेक्षण गृहों और इसी तरह के अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिनमें विस्तृत अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशेष मॉनिटर्स की भी नियुक्ति की है, जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट आयोग को देने का कार्य सौंपा गया है। यहाँ सितंबर, 2025 के दौरान विभिन्न स्थानों पर विशेष मॉनिटर्स द्वारा किए गए मौके के दौरे का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

- 11-18 सितंबर, 2025 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के विशेष निरीक्षक, श्री बालकृष्ण गोयल ने राजस्थान के भरतपुर में वृद्धाश्रमों, बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई), संप्रेक्षण गृहों और आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का दौरा किया। उन्होंने हरियाणा के नारनौल और झज्जर स्थित इन संस्थानों का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया।

- 15-16 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के विशेष मॉनिटर, डॉ. योगेश दुबे ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में दिव्यांगजनों (PwD) के संस्थानों का दौरा किया, जिनमें बच्चों के लिए एक स्कूल, जिला पुनर्वास केंद्र और दृष्टिबाधितों के लिए गृह शामिल थे। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिले में समावेशी स्कूलों की स्थिति का भी आकलन किया और जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में जागरूक किया।

- 15 से 20 सितंबर, 2025 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के विशेष निरीक्षक, डॉ. प्रदीप कुमार नायक ने असम के कामरूप मेट्रो, कामरूप ग्रामीण, मोरीगांव और दरंग जिलों का दौरा किया। इस दौरान, उन्होंने राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, कलेक्टरों एवं जिलाधिकारियों, जिला स्वास्थ्य प्रमुखों और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े समुदायों के मामलों से संबंधित अधिकारियों से भी भेंट की।

# क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन तथा उनके प्रति जागरूकता पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, यह अपनी पहुँच बढ़ाने और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों रूपों में आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में ठहरने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें।

## ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) का सितंबर माह का कार्यक्रम 22 सितंबर, 2025 से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने ज़ोर देकर कहा कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में मानव अधिकारों के उभरते क्षेत्र के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना है। संवैधानिक मूल्यों पर आधारित, यह कार्यक्रम नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और गिग इकॉनमी शोषण जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान भी करता है।

उन्होंने कहा कि मानव अधिकार गतिशील हैं और निरंतर पुनर्मूल्यांकन तथा जनसहभागिता की माँग करते हैं। प्रशिक्षुओं को सक्रिय रूप से भाग लेने, प्रश्न पूछने और न्याय, सहानुभूति और गरिमा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें मानव अधिकारों के ऐसे दूत के रूप में तैयार करना है जो इन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में लागू करें।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल छात्रों को संबोधित करते हुए

श्री लाल ने कहा कि व्यापार और मानव अधिकार, श्रम अधिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन जैसे उभरते मुद्दे प्रमुख ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सच्चा नेतृत्व न केवल अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई करने में निहित है, बल्कि चुप रहने या सहभागी बनने से इनकार करने में भी निहित है। यह कार्यक्रम आत्मचिंतन, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने का आह्वान है क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वही वास्तव में याद किए जाते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने ओएसटीआई पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसमें मानव अधिकारों की वास्तविकताओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए तिहाड़ जेल, आश्रय गृह और पुलिस थानों जैसे संस्थानों के व्याख्यान और वर्चुअल दौरे शामिल हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को मानव अधिकारों की समझ बढ़ाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के बारे में भी जानकारी दी।

इस ओएसटीआई के लिए कुल 896 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न शैक्षणिक विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 छात्रों का चयन किया गया।

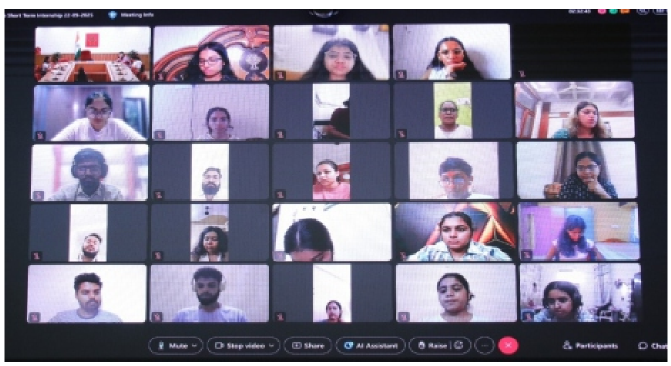

▶ उपस्थित छात्रों का एक वर्ग

## कार्यशालाएं

- 19 सितंबर, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 'कानून से संघर्षरत बच्चों के अधिकार' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- 25 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने '21वीं सदी में मानव अधिकार: मुद्दे और चिंताएँ' विषय पर बात की।

## ज्ञानावर्धक दौरे

18 और 30 सितंबर, 2025 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के 107 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु आयोग की कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी।

▶ बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, यूपी

▶ जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

## जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम

16 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। LGBTQI+ के अधिकारों पर आयोग के कोर ग्रुप की सदस्य श्रीमती अंजलि गोपालन ने 'पुरुष और महिला से परे: उन पूर्वाग्रहों को समझना जिन पर हम ध्यान नहीं देते' विषय पर उनके साथ बातचीत की।

# अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरसी) के साथ संवाद करने और तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी दौरा करते हैं।

## कोलंबो, श्रीलंका में अयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक

26 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री भरत लाल ने श्रीलंका के कोलंबो में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में 'भ्रष्टाचार और मानव अधिकार - भारत का अनुभव और संस्थागत प्रतिक्रियाएँ' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल शासन की चुनौती नहीं है - यह एक आपराधिक अपराध और गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन है। यह विश्वास को कम करता है, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, कानून के शासन को कमज़ोर करता है और गरीबों व वंचितों को असमान रूप से नुकसान पहुँचाता है। जब संसाधन छीन लिए जाते हैं, तो बच्चे शिक्षा खो देते हैं, परिवार स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, बच्चों की शिक्षा खो देते हैं और समुदायों को पर्यावरणीय क्षरण का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार चुनावी राजनीति और न्याय में प्रतिनिधित्व को विकृत कर सकता है और असमानता को गहरा कर सकता है - जिससे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है।

श्री लाल ने कहा कि भारत ने अधिकारों की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक मज़बूत संस्थागत और कानूनी ढाँचा तैयार किया है। संविधान, न्यायपालिका, राष्ट्रीय मानव अधिकार

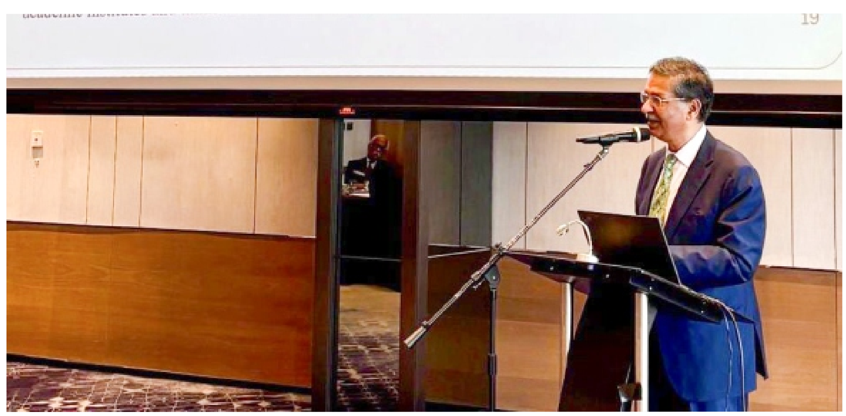

► राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत लाल कोलंबो, श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए

आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय और अन्य वैधानिक निकाय सामूहिक रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। पिछले एक दशक में, भारत के डिजिटल शासन सुधारों ने भ्रष्टाचार के अवसरों को तेज़ी से कम किया है। जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यूपीआई और सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने लाखों फर्जी लाभार्थियों को खत्म किया है, पारदर्शी खरीद को संभव बनाया है और अरबों की बचत की है। भारत के ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफ़ॉर्म, सीपीजीआरएएमएस ने लाखों शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान किया है और वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, बेनामी लेनदेन अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित भारत का कानूनी ढाँचा एक मज़बूत आधारशिला है। संसदीय समितियाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखापरीक्षा और लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य लोकायुक्त जैसी संस्थाएँ प्रवर्तन को मज़बूत बनाती हैं। एनएचआरसी ने लगातार भ्रष्टाचार को एक गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन माना है, मानव अधिकार रक्षकों के रूप में मुखबिरों की रक्षा करता है और भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के साथ सहयोग करता है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से भारत ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल तथा बैठक के अन्य प्रतिभागी

श्री लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अंततः सम्मान, समानता और न्याय की लड़ाई है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह लोकतंत्र और शासन में विश्वास को खत्म कर देता है और लोगों को सरकारें गिराने के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर देता है। भ्रष्टाचार विरोधी और मानव अधिकार संस्थाओं जैसे लोकतंत्र के स्तंभों को मज़बूत करना और उन्हें प्रभावी बनाना ही असली सुरक्षा कवच है। भारत का अनुभव बताता है कि मज़बूत संस्थाओं, डिजिटल नवाचार और नागरिक-केंद्रित शासन के ज़रिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है और अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और अपने मूल्यों पर ज़ोर देने वाली जागरूकता ही समाधान है और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीखकर और मिलकर काम करके, हम ऐसे समाजों का निर्माण कर सकते हैं जहाँ शासन पारदर्शी हो, अधिकार सुरक्षित हों और लोकतंत्र फल-फूल सके।

## ऑनलाइन बैठकें

- 8 सितंबर, 2025 को, सुश्री वर्षा आप्टे, सलाहकार (अनुसंधान), एनएचआरसी, भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) पर लर्निंग कॉल: राज्य के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय आईएचएल समितियों और एनएचआरआई के बीच अभिसरण बिंदु' में भाग लिया, जिसे फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया था।
- 10 सितंबर, 2025 को एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने व्यवसाय और मानव अधिकारों पर मासिक GANHRI कार्य समूह में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
- 18 सितंबर, 2025 को एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक और सुश्री वर्षा आप्टे, सलाहकार (अनुसंधान) ने एनएचआरआई के लिए जेंडर रणनीति टूलकिट के विकास में योगदान देने के लिए एपीएफ लिंग रणनीति संदर्भ समूह के संबंध में वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

# राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सदैव एक सतत प्रक्रिया है। भारत में, जनता के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के अलावा, विधायिका, न्यायपालिका, एक सक्रिय मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित अधिकारों और कल्याणकारी उपायों के प्रहरी के रूप में कार्यरत हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों पर प्रकाश डालना है।

## पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानव अधिकार आयोग

पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ मानव अधिकार आयोगों ने बठिंडा, रोपड़ और चंडीगढ़ में सीसा और यूरेनियम संदूषण के बारे में एक पत्रकार की शिकायत के बाद एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या का संज्ञान लिया। पंजाब विश्वविद्यालय और गैर-सरकारी संगठन बाबा फ़रीद फ़ाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में बच्चों के रक्त और बालों में सीसे के खतरनाक स्तर और भूजल में यूरेनियम संदूषण का पता चला।

इस रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने पंजाब सरकार को विष विज्ञान विभाग स्थापित करने, कीलेशन थेरेपी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रदूषण निरीक्षण करने, सार्वजनिक क्षेत्रों में आरओ सिस्टम लगाने और राज्यव्यापी सर्वेक्षण करने के निर्देश जारी किए। अगली सुनवाई 4 दिसंबर, 2025 को है।

इसके अलावा, 18 सितम्बर, 2025 को पंजाब विश्वविद्यालय के 50 छात्रों ने एक दिवसीय शैक्षिक सत्र के लिए आयोग का दौरा किया, तथा इसके कामकाज और मानव अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

## हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

5 सितंबर 2025 को, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) के सदस्य, श्री दीप भाटिया ने वीटा मिल्क प्लांट, बल्लभगढ़ का दौरा किया और इसके संचालन, गुणवत्ता मानकों और किसान कल्याण एवं उपभोक्ता पोषण में इसकी भूमिका का आकलन किया। उन्होंने बताया कि यह प्लांट, जो आईएसओ और एनडीडीबी प्रमाणन के साथ प्रतिदिन एक लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति करता है, उत्कृष्ट स्वच्छता बनाए रखता है और सुरक्षित एवं प्राकृतिक डेयरी उत्पाद तैयार करता है। श्री भाटिया ने वीटा दूध के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान, ब्रांड प्रचार और सरकारी पोषण योजनाओं के साथ सहयोग की सिफारिश की। उन्होंने प्लांट को सहकारी सफलता का एक ऐसा मॉडल बताया जो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के मानव अधिकार को कायम रखता है।

इस माह के दौरान, एचएसएचआरसी ने सोनीपत के रिधाना गांव के एक निजी स्कूल में 11 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर दंडित करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इसके अलावा, एचएसएचआरसी ने सौरभ गर्ग को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर, 2012 को एलपीजी रिसाव के कारण घर में लगी आग से 11 लोगों को बचाते हुए हुई थी।

▶ हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक दूध संयंत्र का निरीक्षण करते हुए एचएसएचआरसी अधिकारी

# मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने 13 सितंबर, 2025 को अपना 31वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर "साइबर सुरक्षा - मानव अधिकार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सत्य कुमार सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। एमपीएसएचआरसी ने अपनी नई वेबसाइट www.hrc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर "साइबर सुरक्षा और मानव अधिकार" नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा, एमपीएसएचआरसी ने क्षिप्रा नदी में डूबे 10 वर्षीय लड़के के परिजनों को राहत के रूप में 4 लाख रुपये देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

▶ मध्य प्रदेश के भोपाल में एमपीएसएचआरसी अपना 31वां स्थापना दिवस मनाते हुए

# कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

सितंबर 2025 के दौरान, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) के सदस्य, श्री एस.के. वंतीगोडी ने बेलगावी जिले के वंतामुरी मातृ एवं शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों व अस्पताल के कर्मचारियों से मुलाकात की। एक संवादात्मक सत्र में, उन्होंने तहसीलदार और चिकित्सा अधिकारी सहित लगभग 100 तालुका-स्तरीय अधिकारियों को मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के महत्व के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा, सदस्य ने चिक्कोडी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मुलाकात की और पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करके मानव अधिकारों को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जिले के विभिन्न छात्रावासों और सरकारी प्रतिष्ठानों का दौरा किया और सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा छात्रों से बातचीत की। केएसएचआरसी ने बेलगावी जिले में कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण प्रसवोत्तर अवधि में महिलाओं की मृत्यु की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।

▶ केएसएचआरसी सदस्य कर्नाटक के बेलगावी जिले में अस्पताल का निरीक्षण करते हुए

# संक्षेप में समाचार

- 2 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित महाबोधि सोसाइटी मीटिंग हॉल में आयोजित 'महिला मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकारों पर बात की।

- 2 सितंबर, 2025 को, दिव्यांग कलाकार श्री अपूर्व ओम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम से मुलाकात की और उन्हें स्वयं बनाया गया चित्र भेंट किया। विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्रीय एवं युवा पुरस्कार विजेता, वे अपूर्व ओम आर्टिस्ट ट्रस्ट के प्रमुख हैं, जो श्रवण और वाक् बाधित लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने का समर्थन करते हैं।

- 6 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में पाँचवें INSA-NCGG LEADS कार्यक्रम को संबोधित किया और विज्ञान एवं अनुसंधान में भारत के भावी नेतृत्व के लिए वैज्ञानिक नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि चूँकि भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहता है, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को गति प्रदान करेंगे। नेताओं को नैतिक, दूरदर्शी, राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक मूल्यों और बुद्धिमत्ता से जुड़े होने की आवश्यकता है ताकि वे ऐसे वैज्ञानिक संस्थान बना सकें जो अपने कार्यकाल से भी अधिक समय तक टिकें।

श्री लाल ने कहा कि समावेशिता का भारतीय लोकाचार मानव प्रगति से जुड़ी वैज्ञानिक खोजों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। डॉ. होमी जे. भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. एमएस स्वामीनाथन, डॉ. वर्गीस कुरियन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य जैसे महान व्यक्तित्वों ने हमें राह दिखाई है। नवाचार अत्याधुनिक और भारत-केंद्रित होना चाहिए, जो जल, स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करे। वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। श्री लाल ने कहा कि भारत में प्रतिभा और विचार प्रचुर मात्रा में हैं। हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित भारत के निर्माण के लिए ज्ञान को कार्यरूप में परिणत करने हेतु साहस, दूरदर्शिता और निष्ठा वाले नेताओं की आवश्यकता है।

- 12 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, हैदराबाद, तेलंगाना में आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के 15वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उनके भाषण के अंशों पर आधारित एक लेख इस समाचार पत्र के पिछले पृष्ठों पर प्रकाशित किया गया है।

- 15 सितंबर, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने आत्मीय विश्वविद्यालय, राजकोट द्वारा भारत रत्न श्री एम. विश्वेसरैया के 165वें जन्मदिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित 'इंजीनियर्स दिवस' को मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली संबोधित किया।

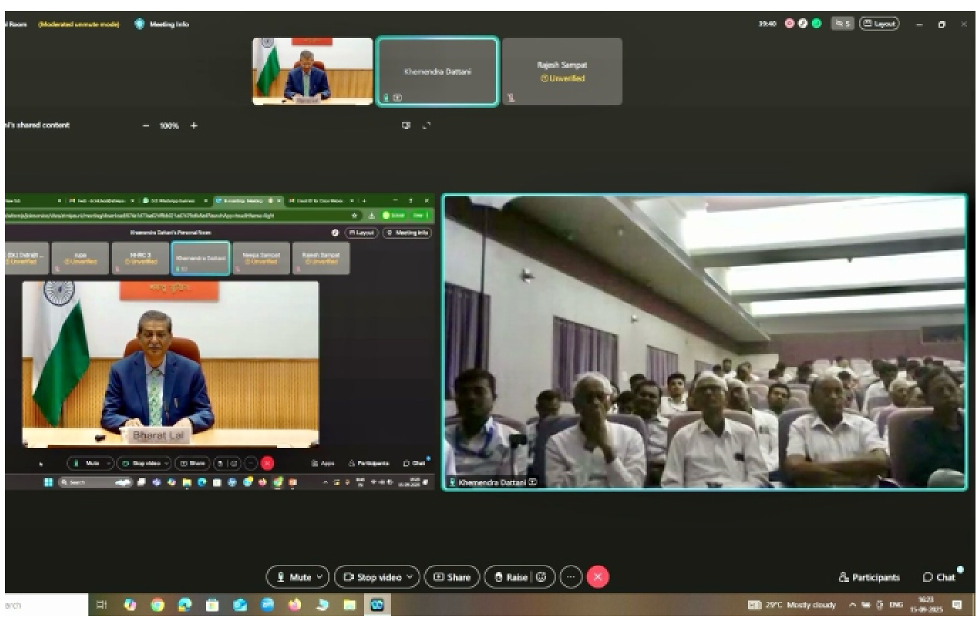

- 19 सितंबर, 2025 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने मुंबई, महाराष्ट्र में 'मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 19 सितंबर, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने ASBM विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा के पांचवें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 20 सितंबर, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने मुंबई, महाराष्ट्र में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट द्वारा आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स में मुख्य भाषण दिया।

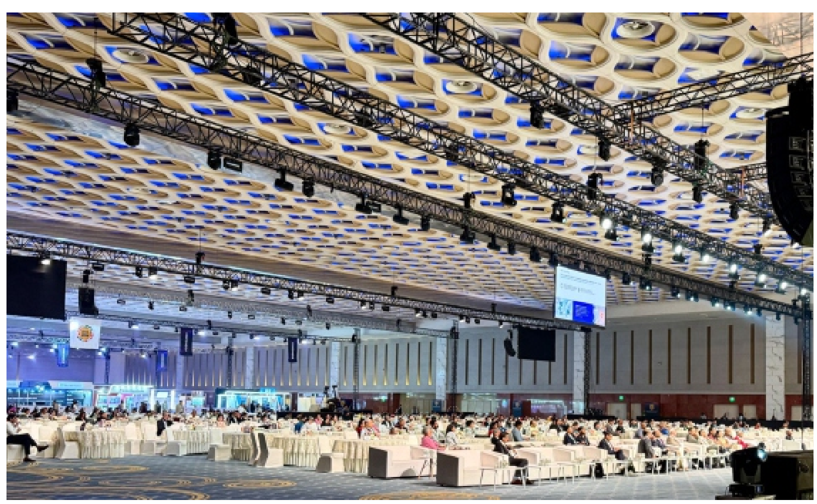

- 21 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने दिल्ली में आयोग के साथ साझेदारी में आईएसआईएल द्वारा आयोजित "21वीं सदी में मानव अधिकार" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने साइरस के चार्टर से लेकर क्रायोनिक्स, लैंगिक पहचान और पर्यावरण जैसे आधुनिक मुद्दों से लेकर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों सहित धार्मिक स्वतंत्रता तक, उभरते अधिकारों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में छात्रों, विधि शिक्षकों और अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

- 26 सितंबर, 2025 को, भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वी.पी.एस. कौशिक ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन से मुलाकात की और उन्हें मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु भारतीय सेना द्वारा की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया। इस बैठक में मानव अधिकारों की समर्थन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सक्रिय भूमिका और विशेष रूप से एक जटिल परिचालन परिवेश में, मानव अधिकार कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। अध्यक्ष ने भारतीय सेना की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी की सराहना की और मानव अधिकार मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र की सराहना की।

- 29 सितंबर, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने डिमेंशिया रणनीति पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और 'डिमेंशिया और मानव अधिकार: गरिमा, संरक्षण और नीतिगत अनिवार्यताएँ' विषय पर बात की। एनएचआरसी द्वारा समर्थित और आईएचबीएएस और डिमेंशिया इंडिया एलायंस द्वारा सह-आयोजित इस बैठक में नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज को डिमेंशिया के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक साथ लाया गया।

  श्री लाल ने वृद्ध आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों और डिमेंशिया व अल्ज़ाइमर से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कलंक और धोखाधड़ी व साइबर अपराध के प्रति संवेदनशीलता उनकी गरिमा और अधिकारों के लिए ख़तरा है। उन्होंने सरकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई प्रमुख पहलों की जानकारी दी, जिनमें वृद्धों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कोर ग्रुप, परामर्शी, स्वतःसंज्ञान से हस्तक्षेप और डिमेंशिया पर शोध के लिए समर्थन शामिल हैं। उन्होंने 'भारत में वृद्धावस्था - चुनौतियाँ और अवसर' नामक ऐतिहासिक रिपोर्ट और हाल ही में वृद्धजनों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग और संकल्प फाउंडेशन के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

श्री लाल ने अधिक जागरूकता, देखभाल करने वालों की क्षमता निर्माण, अधिकार-आधारित, साक्ष्य-आधारित और परिवार एवं समुदाय-आधारित मनोभ्रंश प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेषज्ञों से एक ऐसे रोडमैप के लिए कार्यान्वयन योग्य विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया जो भारत में प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति के लिए सम्मान, सुरक्षा और निरंतर सार्थक जीवन सुनिश्चित करे।

- 29 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने द ललित, नई दिल्ली में आयोजित चौथे राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरस्कार एवं नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नालसा (NALSA) निर्णय के बाद से, पिछला दशक भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता के लिए परिवर्तनकारी रहा है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के साथ, मान्यता का प्रश्न हल हो गया है; अब कार्य यह सुनिश्चित करना है कि ये अधिकार वास्तविक वास्तविकताएँ बनें।

श्री कुमार ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से कानूनी ढाँचे को मज़बूत करने, एलजीबीटीआई मुद्दों पर एक समर्पित कोर एडवाइजरी ग्रुप की बनाने करने और कोविड-19 महामारी सहित समुदाय की सुरक्षा के लिए समय पर परामर्श जारी करने में एनएचआरसी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आयोग का वर्तमान ध्यान आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने पर है, जिसमें उनके रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उल्लेख किया। आयोजकों - प्राइड बिज़नेस नेटवर्क फ़ाउंडेशन, नेशनल नेटवर्क फ़ॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स और गौरव (एक गैर-लाभकारी समुदाय-आधारित संगठन) को बधाई देते हुए, सहयोगी संस्थाओं के सहयोग की सराहना करते हुए, श्री कुमार ने कहा कि यह सम्मेलन इस बात की पुष्टि करने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ, बिना किसी भय के और गर्व के साथ जीने का अधिकार है।

## आगामी कार्यक्रम

**16 अक्टूबर, 2025** को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत का स्थापना दिवस है। हालाँकि, इस बार अवकाश होने के कारण, आयोग ने इस दिवस के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'जेल के कैदियों के मानव अधिकार' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

## सितंबर, 2025 में शिकायतें

| | |
|---|---|
| प्राप्त नई शिकायतों की संख्या | 8,928 |
| पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या | 4,223 |
| आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या | 39,454 |

# ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

**शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर**

**टोल फ्री नंबर:** 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

**ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए:** www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

**सामान्य सेवा केंद्र ईमेल:** complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

**मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:**

**इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)**

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in


**प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी**

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in  www.nhrc.nic.in  @India_NHRC

RNI No. 61957/95